कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या–224001
Email Id: eeupjn_cdfaizabad@yahoo.co.in

पत्रांक 1857 / M-15 / 27 दिनांक 27/04/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय :**दैनिक भाष्कर समाचार पत्र में दिनांक 16.04.2026 को प्रकाशित शीर्षक "पेयजल योजना में घटिया सामग्री की आशंका : अधिकारियों ने लिया संज्ञान, जांच के निर्देश दिए " के संदर्भ में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर समाचार पत्र दिनांक 16.04.2026 को प्रकाशित समाचार शीर्षक **"पेयजल योजना में घटिया सामग्री की आशंका : अधिकारियों ने लिया संज्ञान, जांच के निर्देश दिए"** के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड– तारून में ककराही, बारा एवं केवलापुर पेयजल योजना के निर्माण कार्य में निम्न श्रेणी के ईंटों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में अवग कराना है कि उक्त पेयजल योजना का निरीक्षण करते हुए प्रयोग में लायी जा रही निम्न श्रेणी के ईंटो को साइट से हटवाकर उच्च श्रेणी की ईंटो को प्रयोग में लाया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में नामित फर्म मेसर्स वी0एस0ए0आई0पी0पी0एल0 –एस0सी0एल0 (जे0वी0), हैदराबाद को इस कार्यालय के पत्रांक 1815/यो0–01/344 दिनांक 16.04.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा चेतावनी पत्र निर्गत करते हुए निर्देशित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, तथा योजना का निर्माण उच्च गुणवत्ता पूर्ण एवं मानक के अनुसार कराना सुनिश्चित करें।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

17/04/2026

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 / / दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. सम्बन्धित सहा0अभि0/जूनि0इंजी0 (खण्डान्तर्गत)।
3. सूचना अधिकारी, सूचना विभाग, अयोध्या।
4. मेसर्स वी0एस0ए0–एस0सी0एल0 (जे0वी0), हैदराबाद।

अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी अभियंता अरविंद यादव ने इस संबंध में बताया कि विभाग निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता या मानक के विपरीत सामग्री का प्रयोग पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ही पूरे कराए जाएंगे।

ग्रामीणों ने विभागीय कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया है, लेकिन साथ ही मांग की है कि निर्माण कार्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। उनका कहना है कि पेयजल योजना गांव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

फिलहाल, विभाग द्वारा मामले की आगे की जांच जारी है। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर

ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। उनका आरोप था कि पानी की टंकी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इस्तेमाल की जा रही ईंटें मानकों के अनुरूप नहीं हैं। स्थानीय लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि यदि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, तो भविष्य में पेयजल योजना की उपयोगिता प्रभावित हो सकती है।

शिकायतें मिलने के बाद अधिशासी अभियंता अरविंद यादव ने उपलब्ध तस्वीरों और वीडियो के आधार पर प्रारंभिक जांच कराई। प्रथम दृष्टया कुछ सामग्री की गुणवत्ता पर संदेह होने के बाद उन्होंने संबंधित ठेकेदार को आवश्यक निर्देश दिए। इसके परिणामस्वरूप, ठेकेदार ने निर्माण स्थल से उन ईंटों को हटा दिया।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या
1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या–224001
Email Id: eeupjn_cdfaizabad@yahoo.co.in

पत्रांक 1815 / अ0-01 / 344 दिनांक 16/04/2026

सेवा में,

मेसर्स वी0एस0ए0आई0पी0पी0एल0–एस0सी0एल0 (जे0वी0),
8–2–502/1/ए, जीवी टॉवर्स, प्रथमतल,
रोड नं0 7,बंजारा हिल्स हैदराबाद।

विषय :**जल जीवन मिशन अन्तर्गत ककराही, बारा एवं केवलापुर पेयजल योजना में कराये गये कार्यों के खराब गुणवत्ता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड–तारून में ककराही, बारा एवं केवलापुर पेयजल योजना में कैम्पस डेवलपमेन्ट कार्य हेतु निम्न श्रेणी के ईंटों का प्रयोग करते हुए पाया गया।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल सम्बन्धित साइट से निम्न श्रेणी के ईंटों का हटाकर उच्च श्रेणी के ईंटों का प्रयोग करते हुए मानक के अनुसार निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 1815 / अ0-01 /344 दिनांक 16/04/2026

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर (खण्डान्तर्गत) को इस निर्देश के साथ कि योजना का निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करें।
3. मे0 फिशनर कांसल्टिंग इंजीनियर्स (इण्डिया) प्रा0लि0, नोएडा (अयोध्या यूनिट) को इस निर्देश के साथ कि योजना का निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता